

दूरभाष: 26175176

फैक्स: 26162093

E-mail: ddhts-exam-dol@nic.in

संख्या-30/3/2019-उ.नि.(परीक्षा)/ 259-508

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना

उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली-110066

दिनांक: 25 FEB 2020

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/
सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष

विषय:- हिंदी शब्द संसाधन / टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा जुलाई, 2020 की समय-सारणी तथा प्रणाली में प्रशिक्षार्थियों का विवरण अपलोड करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी शब्द संसाधन /टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएँ परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष जुलाई, 2020 माह के दूसरे/तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं । इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार तथा पूरक परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के अगले माह के अंतिम कार्य दिवस पर घोषित किया जाता है ।

जुलाई, 2020 में आयोजित की जाने वाली हिंदी शब्द संसाधन /टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी मॉनीटरिंग को चुस्त बनाने के लिए पूर्व की भांति 'हिंदी भाषा हिंदी शब्द संसाधन/टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय उप-निदेशक परीक्षा संबंधी कार्य निम्नवत् करना सुनिश्चित करें :-

1. हिंदी शब्द संसाधन टंकण / आशुलिपि के प्रशिक्षार्थियों का विवरण सहायक निदेशक द्वारा प्रणाली में भरने के पश्चात् क्षेत्रीय उप निदेशक/उ.नि.(टंकण/आशु.)/पत्राचार द्वारा सत्यापित कर परीक्षा शाखा में भेजा जाए । किसी भी प्रशिक्षार्थी का मैनुअल परीक्षा फार्म अब परीक्षा शाखा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा । केवल उन्हीं कर्मिकों की परीक्षा होगी जिनका विवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली पर भरा होगा ।
2. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/उ.नि.(टंकण/आशु.)/पत्राचार स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करके यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक सहायक निदेशक (टंकण/आशु.) द्वारा पूरा डाटा उक्त प्रणाली में सही भरा गया है।
3. प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि फरवरी-जुलाई, 2020 सत्र में 17 अप्रैल, 2020 निर्धारित की गई है । विवरण को सत्यापित कर उप निदेशक(परीक्षा) को स्वीकृति हेतु भिजवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 निर्धारित है। सत्यापन के तुरंत बाद क्षेत्रीय उप निदेशक/उ.नि.(टंकण/आशुलिपि)/पत्राचार उपनिदेशक(परीक्षा) को ई-मेल द्वारा सूचना देना सुनिश्चित करें।
4. नियमानुसार परीक्षार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 25-25 अंक अथवा उस से अधिक होना अनिवार्य है । प्रश्न-पत्र द्वितीय (गति परीक्षा) में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 श.प्र.मि.(9000 KDPH) की गति होगी । किसी एक प्रश्न पत्र में 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पूरक घोषित किया जाएगा ।

.....2/..

5. पत्राचार पाठ्यक्रम के (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान) प्रशिक्षार्थियों का विवरण सहायक निदेशक (टंकण/आशु0) द्वारा प्रणाली के माध्यम से ही 17 अप्रैल, 2020 तक अपलोड कर उपनिदेशक(टंकण/आशुलिपि) पत्राचार द्वारा सत्यापित कर दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक उप निदेशक (परीक्षा) को भेजा जाए।

6. जुलाई, 2020 में आयोजित हिंदी शब्द संसाधन टंकण परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी को जनवरी, 2021 के लिए पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रणाली में पुनः विवरण अपलोड नहीं करना होगा। पूर्व जारी पंजीकरण के आधार पर ही उसे परीक्षा देनी होगी। इन परीक्षार्थियों का विवरण उपनिदेशक(परीक्षा) को अग्रेषित करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2020 है।

7. हिंदी शब्द संसाधन टंकण/आशु. के 5 दिवसीय कक्षा में पढाई के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Validation Course) के प्रशिक्षार्थियों का विवरण सहायक निदेशक द्वारा अपलोड किया जाएगा। जिसे क्षेत्रीय उपनिदेशकों/उ.नि.(टंकण/आशु.) /पत्राचार द्वारा सत्यापित करके उप निदेशक(परीक्षा) को ई मेल द्वारा सूचित किया जाए।

8. जनवरी, 2020 की परीक्षा में पूरक घोषित हुए जो परीक्षार्थी जुलाई, 2020 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में दोनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा देनी होगी।

9. प्रशिक्षार्थी के परीक्षा केंद्र परिवर्तन/बैच परिवर्तन संबंधी कार्रवाई क्षेत्रीय उप निदेशकों, उ.नि. (टंकण/आशुलिपि) /पत्राचार के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सूचना उनके द्वारा उपनिदेशक (परीक्षा) को ई मेल द्वारा दी जाएगी और केंद्र परिवर्तन के लिए नया परीक्षा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। उसके पश्चात् केंद्र परिवर्तन/बैच परिवर्तन हेतु दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. सहायक निदेशकों द्वारा प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात् तथा उप निदेशक (परीक्षा) द्वारा स्वीकृति के पश्चात् ही परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क के लिए बैंक ड्रॉफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन टंकण/आशुलिपि परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है। भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु.100/- परीक्षा शुल्क देय है।

11. प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों का विवरण क्षेत्रीय उपनिदेशक / उपनिदेशक(टंकण/आशु.)-नई दिल्ली द्वारा प्रणाली में अपलोड किया जाएगा, जिसकी प्रणाली के अंतर्गत अंतिम तिथि 17 अप्रैल, 2020 निर्धारित की गई है। विवरण को सत्यापित कर उपनिदेशक(परीक्षा) को स्वीकृति हेतु अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 निर्धारित है।

परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website www.onlinesbi.com पर निम्नलिखित स्टेप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है।

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टेप्स:-

1. सबसे पहले State Bank of India की website www.onlinesbi.com में State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर जाएँ। State Bank of India की website www.onlinesbi.com पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

- 2.State Bank Collect पेज पर State of Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं GO को क्लिक करें
- 3.Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, Deptt.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA को SUBMIT करें ।
4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें । Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा ।
5. इस फार्म को भरने के पश्चात् Submit करें । Submit करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें ।
6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (परीक्षा),हिंदी शिक्षण योजना,पूर्वी खंड-7, तल-6 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजें।

(ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।

12. परीक्षा स्कंध द्वारा निर्धारित अंतिम तिथियों के बाद किसी भी प्रविष्टि पर विचार नहीं किया जाएगा । सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सहायक निदेशक टंकण/आशुलिपि/पत्राचार यथासमय प्रणाली से परीक्षा प्रवेश-पत्रों का प्रिंट लेकर सभी संबंधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवा सकते हैं।
13. प्रणाली के अंतर्गत सहायक निदेशकों द्वारा केंद्र अधीक्षक संबंधी पूर्ण जानकारी भरी जाएगी । इसके अंतर्गत केंद्र अधीक्षक का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं., कार्यालय का फोन नं., कार्यालय का पूरा पता तथा परीक्षा केंद्र का पूरा पता आदि देना अनिवार्य है। सहायक निदेशक यह सुनिश्चित करें कि केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हों, उसी शहर में कार्यरत हों तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने की संभावना न हो। उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है जो कि राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हों ।
14. सहायक निदेशक द्वारा केंद्र अधीक्षक का विवरण भी प्रणाली के माध्यम से भरकर क्षेत्रीय उप निदेशक/ उपनिदेशक (टंकण/आशु.)/पत्राचार द्वारा उपनिदेशक(परीक्षा) को अग्रेषित किए जाएं ताकि परीक्षा संबंधी आगामी कार्रवाई (केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति पत्र, प्रश्न-पत्र एवं परीक्षा सामग्री) यथासमय भिजवाई जा सके ।
15. भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपए का बैंक ड्राफ्ट 'उप निदेशक(परीक्षा),हिंदी शिक्षण योजना,नई दिल्ली' के पक्ष में भेजना होगा, जिसका विवरण प्रणाली में अपलोड होने के पश्चात् ही उसका परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होगा ।
16. कृपया सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा भवन का किराया (जहाँ परीक्षा भवन किराए पर लेने की आवश्यकता हो) पारिश्रमिक राशि तथा फुटकर खर्चआदि के लिए अग्रिम राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित केंद्र अधीक्षक के बैंक खाता संख्या,IFSC CODE, Bank का नाम आदि विवरण सहित अग्रिम मांग पत्र भी दिनांक 10 अप्रैल,2020 तक इस कार्यालय को अवश्य भेज दें ।
17. परीक्षा से संबंधित बिलों का भुगतान केवल केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते में ई पेमेंट द्वारा ही किया जाएगा । अतः बिल के साथ केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते का विवरण बैंक / शाखा का नाम, खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड (IFSC CODE NO) मोबाईल नंबर तथा ई मेल आई डी अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजें ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन हो सके । सुगमता को देखते हुए कैंसिल चैक की एक फोटो प्रति भी भेजी जाए । 4/;

संपर्क सूत्र:-

क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी.

- (1) उप निदेशक (मध्योत्तर), दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू हिंदी शिक्षण योजना, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए पूर्वी ब्लॉक-7, लेवल- 6, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-66 ddhts-nc-dol@nic.in
- (2) उप निदेशक (दक्षिण), तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पांडिचेरी केंद्र शासित हिंदी शिक्षण योजना, प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए ई-3 सी ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090 ddhts-south-dol@nic.in
- (3) उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एवं अंडमान निकोबार 18वां तल, निजाम पैलेस परिसर, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020 ddhts-east-dol@nic.in
- (4) उप निदेशक (पश्चिम), महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव एवं दादरा हिंदी शिक्षण योजना, नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए केंद्रीय सदन, सी विंग, छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर, नवी मुंबई-400614 ddhts-west-dol@nic.in
- (5) उप निदेशक (पूर्वोत्तर), असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए हिंदी शिक्षण योजना, पू.सी.रेलवे मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी-11 (असम) htsgghy@gmail.com
- (6) उप निदेशक (दं/आ), दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू हिंदी शिक्षण योजना, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल पूर्वी खंड-7, तल- 6, तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-66 Chti1035@nic.in
- (7) उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम), अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 Chti1037@nic.in

5/2

जुलाई, 2020 में T 1 नियमित, P2 प्राइवेट, T2पत्राचार, T3अल्पावधि प्रशिक्षण S 1 आशुलिपि
P3 प्राइवेट आशुलिपि एवं पूरक प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की समय-सारणी
हिंदी शब्द संसाधन/ टंकण परीक्षा की समय-सारणी तथा पूरक-I

परीक्षा की तारीख	दिन	बैंच	समय
07.07.2020	मंगलवार	I	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
07.07.2020	मंगलवार	II	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
08.07.2020	बुधवार	III	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
08.07.2020	बुधवार	IV	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
09.07.2020	बृहस्पतिवार	V	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
09.07.2020	बृहस्पतिवार	VI	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
10.07.2020	शुक्रवार	VII	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
10.07.2020	शुक्रवार	VIII	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
13.07.2020	सोमवार	IX	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
13.07.2020	सोमवार	X	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक

टंकण (पूरक-II)

परीक्षा की तारीख	दिन	बैंच	समय
14.07.2020	मंगलवार	परीक्षार्थियों की संख्या अनुसार	
14.07.2020	मंगलवार		

भवदीय
वा.सु.देव
25-2-2020
(वासुदेव सिंह)

उप निदेशक (परीक्षा)

कोड -chti1124

टिप्पणी:- कृपया संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय की ई मेल भेजने का कष्ट करें ताकि भविष्य में मेल द्वारा पत्राचार किया जा सके ।